

G.C.M.S.No. - 2020/00282
 प्रकरण सं. - 121/20

13/11/21

पञ्जाबी बैंक द्वारा अधिकांश धार्य उपस्थित
 विपत्ती का सुपन्न पर विपत्ती द्वारा मोटिव को
 से बना करने पर ही भारतीयन की उपस्थिति
 में विपत्ती के खुले अकाउंट अकान पर परस्पाकी
 की सुपन्न के साथ जाद रमिल प्राप्त हो चुका
 है इसके बावजूद भी विपत्ती जातपुत्र सुपन्न के
 उपस्थित नहीं हुआ है। अतः विपत्ती के विरुद्ध
 एक पक्षीय कार्यवाही के अन्तर्गत दिये जाते हैं
 विपत्ती द्वारा निर्धारित मुकदमा सौदा प्राप्त
 नहीं करने से सिविल डिपोजिट की कार्यवाही
 हेतु प्रकरण भारतीय न्यायालय जिला एवं
 सेशन न्यायाधीश, पिलीडगढ़ को प्रेषित किया
 जावेगा, चूंकि बैंक विपत्ती के नाम का है, अतः
 डेब्ट बैंक धार्य कंपनी को लौटव्यु जाकर
 निर्धारित मुकदमा सौदा सिविल डिपोजिट हेतु
 नवीन बैंक जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पिलीडगढ़
 के नाम से बनाकर प्रस्तुत करने हेतु निश्चय जावेगा



(कं.कं. शर्मा)
 जिला कलक्टर
 पिलीडगढ़